

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल, म.प्र.

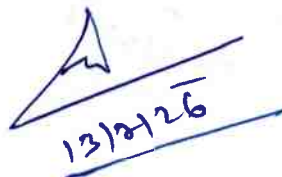
क्रमांक- २५३ / 2026

भोपाल, दिनांक - 13.07.2026

(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2026)

मैं अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल धारा 13(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र मण्डल भोपाल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आपराधिक कार्य संबंधी पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन क्रं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 को छोड़कर पूर्ववर्ती समस्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नलिखित अनुसार कार्य विभाजन करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल द्वारा अनुमोदन दिनांक 13.07.26 से प्रभावशील होगा :-

1.	अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	अ. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो संपूर्ण भोपाल, विदिशा, राजगढ़ (ब्यावरा) सीहोर और रायसेन जिला	1. म0प्र0 शासन, विधि विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रं 1-8-79-इक्कीस-ब(एक) भोपाल दिनांक 28 जून 2007 में दर्शित कालम क्रं 2 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उक्त सारणी के कालम क्रं 3 के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण ।
		ब. संपूर्ण जिला भोपाल	2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण । 3. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण । 4. श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन के प्रकरण । 5. म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म प्र द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र । 7. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंधित) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हो । 8. इवायरमेंटल लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद प्रकरण/आपराधिक प्रकरण 9. वन विधि (भारतीय वन अधिनियम/वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम) से उद्भूत परिवाद/आपराधिक


13/07/26

		स. संपूर्ण तहसील हूजूर एवं कोलार जिला भोपाल आरक्षी केन्द्र 1. एम.पी. नगर 2. टी.टी. नगर 3. हबीबगंज 4. रातीबड़ 5. बैरागढ़ 6. यातायात 7. एस.टी.एफ.	प्रकरण 10. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1958 11. वन विभाग से प्रस्तुत होने वाले परिवाद. 12. सरफेसी एक्ट से संबंधित परिवाद एवं अन्य समस्त कार्यवाहियां 13. आबकारी वृत्त भोपाल (तहसील बैरसिया को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले मामले। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रं सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.16 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के विविध कार्यालयीन आदेश क्रं क्यू/सांख्यिकीय लेखक/16, आदेश दिनांक 10.05.16 द्वारा वन विधि एवं खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। उपरोक्त अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों/आदेशों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के आपराधिक प्रकरण 1. समस्त आपराधिक प्रकरण 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. जिला भोपाल (तहसील बैरसिया सहित) के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों में प्रस्तुत होने वाले खारिजी प्रकरण।
2.	श्री प्रियंक दुबे पच्चीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	आरक्षी केंद्र 1. कमलानगर 2. हनुमानगंज 3. अरेरा हिल्स 4. गोविंदपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र/आवेदन पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां

13/01/26

			5. नापतोल अधिनियम 1985 6. भोपाल जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां
3.	श्री विजय कुमार पाठक तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. निशातपुरा 2. पिपलानी 3. एन.डी.पी.एस.	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. पासपोर्ट अधिनियम 5. एम.पी.एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरण (नोटिफिकेशन क्र.- 1544 दिनांक 29.04.2026 अनुसार)
4.	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. छोला मंदिर 2. अजाक	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. चूनाभट्टी, 2. श्यामला हिल्स
5.	श्रीमती मेघा अग्रवाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. शाहजहानाबाद 2. सी.आई.डी.	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. अरेरा हिल्स 2. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार,


13/2/26

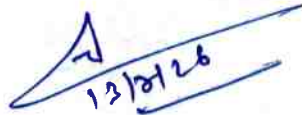
			परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया
6.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केंद्र 1. हबीबगंज 2. बागसेवनिया, 3. कटारा हिल्स 4. अवधपुरी 5. बिलखिरिया 6. परवलिया सड़क 7. पिपलानी	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
7.	कु. लक्ष्मी वास्करे बाइसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. मिसरोद, 2. मंगलवारा . 3. सूखी सेवनिया, 4. अयोध्यानगर 5. कोलार रोड 6. कजलीखेड़ा 7. टीलाजमालपुरा	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
8.	सुश्री शोभना भलावे षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केंद्र 1. टी.टी. नगर 2. सी.आई.डी. 3. कटारा हिल्स 4. कमलानगर 5. हनुमानगंज, 6. चूनाभट्टी 7. तलैया 8. पिपलानी 9. जहांगीराबाद 10. छोला मंदिर 11. अशोका गार्डन 12. खजूरी सड़क	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 363, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 137(2), 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त

12/11/26

		13. कजलीखेड़ा 14. कोलार रोड 15. श्यामला हिल्स 16. अवधपुरी 17. कोतवाली 18. शाहजहांनाबाद	परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
9.	श्रीमती शीला मैना यादव चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. ऐशबाग	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. मिसरोद, 2. कमला नगर
10.	श्रीमती गुंजन शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल	<u>आरक्षी केन्द्र</u> 1. कटारा हिल्स 2. बिलखिरिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र/आवेदन पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. शाहपुरा, 2 टी.टी. नगर 5. वाणिज्यिक न्यायालय (नोटिफिकेशन क.-2601 दिनांक 15.04.2026 अनुसार)



11.	श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (नगर निगम न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. शाहपुरा 2. कोलार रोड 3. गांधीनगर 4. कजलीखेड़ा संपूर्ण तहसील हुजूर एवं कोलार	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम संबंधित आपराधिक प्रकरण । 2. नगर निगम अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मामले जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है । 4. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि० 5. बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम 6. आयकर विभाग, जीएसटी. एवं मूल्य वर्धित कर विभाग (VAT) द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रकरण ।
12.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)	<u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना <u>आरक्षी केंद्र</u> 1. महिला थाना 2. मिसरोद 3. शाहपुरा, 4. गौतम नगर 5. एम.पी. नगर 6. हबीबगंज 7. बागसेवनिया 8. अजाक (यदि कोई प्रकरण हो) 9. बैरागढ़ 10. निशातपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण । 1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन । 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संशोधन अधिनियम, 363, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 137(2), 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम



		11. गांधीनगर 12. कोहेफिजा 13. रातीबड 14. ऐशबाग	1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
13.	श्री भारत सिंह रघुवंशी चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. कोहेफिजा 2. अवधपुरी 3. मिसरोद 4. चूनाभट्टी	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
14.	श्री शरद जायसवाल दसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. बागसेवनिया 2. काइम ब्रांच 3. साइबर काइम	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. जिला मुख्यालय भोपाल के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रकरण। 5. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. कोहेफिजा 2. हबीबगंज

13/21/26

			5. साइबर काइम एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित परिवाद, धारा 156(3) दं.प्र.सं. /175(3) भा.ना.सु.सं. 2023 के आवेदन के प्रकरण।
15.	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केंद्र 1. अयोध्या नगर, 2. सूखीसेवनिया, 3. काइम ब्रांच, 4. टीला जमालपुरा 5. जी.आर.पी. 6. आर.पी.एफ. 7. ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया 8. साइबर काइम (यदि कोई प्रकरण हो) 9. मंगलवारा 10. परवलिया सड़क 11. स्टेशन बजरिया, 12. गोविंदपुरा 13. अरेरा हिल्स 14. बिलखिरिया	1. आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 2. धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संधोधन अधिनियम, 363, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 137(2), 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. संबंधित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
16.	श्री अनुराग खरे अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. जी.आर.पी. 2. आर.पी.एफ.	1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 अनुसार भारतीय रेलवे अधिनियम से संबंधित स्थानीय क्षेत्र भोपाल, सीहोर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, शाजापुर,

13/11/24

			रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सागर, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, मुरैना, नरसिंहपुर, रीवा, नीमच, भिण्ड, कटनी, छतरपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाडा, श्योपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
17.	श्रीमती पलक राय तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. गौतम नगर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. सूखी सेवनिया, 2. गौतम नगर
18.	श्री राहुल सिंह यादव तेईसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. तलैया 2. मंगलवारा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 4. सी.बी.आई./व्यापमं से संबंधित प्रकरण (नोटिफिकेशन क्र.- 3297 दिनांक 15.05.2026 अनुसार) 5. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. तलैया, 2. एम.पी. नगर


13/2/26

19.	श्रीमती गुंजन जलज जोशी इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. अशोकागार्डन, 2. जहांगीराबाद 3. गोविंदपुरा 4. टी.टी. नगर 5. छोला मंदिर 6. कोहेफिजा	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
20.	सुश्री कल्पना कोतवाल पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. रातीबड़ 2. एम.पी. नगर 3. निशातपुरा 4. कमला नगर 5. ऐशबाग 6. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
21.	श्रीमती शिवानी अक्षय तेम्रवाल, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र —	सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।
22.	श्रीमती गजल पाहवा सिंह अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित	आरक्षी केंद्र 1. चूनाभट्टी 2. खजूरी सड़क 3. शाहजहांनाबाद 4. शाहपुरा	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण।



	विशेष न्यायालय)	5. तलैया 6 बैरागढ़ 7. कोतवाली	
23.	श्री आशीष मिश्रा उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. खजूरी सड़क 2. श्यामला हिल्स	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. पिपलानी 2. गांधीनगर 3. बैरागढ़
24.	श्री कृष्णकांत बागरे बीसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. अशोका गार्डन	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. ऐशबाग, 2. गोविंदपुरा 3 रातीबड़
25.	श्रीमती अंजली सिंह बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (एन.आई.एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय)	आरक्षी केन्द्र 1. अरेरा हिल्स 2. गांधीनगर 3. स्टेशन बजरिया 4. हनुमानगंज 5. गौतम नगर 6. श्यामला हिल्स	1. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण । 2. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किए गए आपराधिक प्रकरण ।
26.	श्री कपिल बौरासी सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. जहांगीराबाद	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण


 13/11/26

		 सम्पूर्ण तहसील हुजूर एवं कोलार	3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. औद्योगिक विवाद से संबंधित प्रस्तुत परिवाद प्रकरण । 5. म.प्र.सिनेमा (रेगुलेशन) अधि० 1952 6. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. स्टेशन बजरिया 2. मंगलवारा 3. हनुमानगंज
27.	सुश्री रानू रिछारिया सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजड़ादेव, गुराडिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. निशातपुरा 2 अशोकागार्डन
28.	श्रीमती तनुश्री शिवहरे षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. अयोध्या नगर	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1 जहांगीराबाद, 2. अवधपुरी
29.	श्री राहुल कुमार नामदेव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. परवलिया सड़क	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण ।

13/01/26

			4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. शाहजहानाबाद , 2. बागसेवनिया
30.	श्री जयदीप मौर्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. स्टेशन बजरिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. कोतवाली 2. कटारा हिल्स
31.	सुश्री हेमलता अहिरवार तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. सूखी सेवनिया	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. टीलाजमालपुरा 2. अयोध्यानगर
32.	श्रीमती डिम्पल कश्यप पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. टीलाजमालपुरा	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. कोलार रोड, 2. कजलीखेड़ा, 3. खजूरी सड़क



33.	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. कोतवाली	1. आपराधिक प्रकरण/परिवाद पत्र 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र से उद्भूत आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण । 3. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 4. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से उत्पन्न होने वाले निम्न आरक्षी केन्द्रों के परिवाद :- 1. परवलिया सड़क, 2. छोला मंदिर
34.	श्री अर्जित दुबे चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तहसील बैरसिया, भोपाल	आरक्षी केन्द्र 1. बैरसिया 2. आबकारी वृत्त संपूर्ण तहसील बैरसिया	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र । 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 5. तहसील बैरसिया जिला भोपाल के आबकारी विभाग से उद्भूत प्रकरण । 6. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 7. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 8. संपूर्ण तहसील बैरसिया के इंवायरमेंटल लॉ (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) एवं फारेस्ट लॉ (भारतीय वन अधिनियम) से उद्भूत प्रकरण

13/7/16

35.	सुश्री रंजना डोडवे तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया	आरक्षी केन्द्र 1. नजीराबाद	1. समस्त आपराधिक प्रकरण / परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण । 5. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले छिरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन। 6. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी, सी, डी तथा 354 ए म.प्र. संघोधन अधिनियम, 363, 366, 366 ए, 366बी, 376, 376 ए से 376 डी, 493, 498, 498ए, 509 भा.द.वि./88, 89, 90, 91, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 96, 137(2), 141, 64 से 71 भा.न्या.सं. 2023 एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सति प्रथा निवारण अधिनियम 1957 से संबंधित अभियोगपत्र एवं परिवाद एवं अन्य समस्त परिवाद जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं। 7 . क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
-----	--	--	--

13/01/26

36.	सुश्री निकिता पवार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया	आरक्षी केन्द्र 1. गुनगा 2. थाना गुनगा तहसील हुजूर जिला भोपाल के गांव ईटखेडी, बीनापुर, निपानिया जाट, रायपुर, अरवलिया, खजूरी, खामखेडा, अचारपुरा, परवलिया सानी, रासलाखेडी, गोलखेडी, राताताल, करधई, करोद खुर्द, कनेरा, कढैया, अगरिया, घासी पुरा, बरखेडी हज्जाम, भैरोपुरा, मनीखेडी कोट, मोमनपुर, सुमेरखेडी, सूखा निपानिया, हज्जामपुरा, हिनौतिया जागीर, चीलखेडा, मस्तीपुरा, खींचीताल से उद्भूत।	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 5. आरक्षी केंद्र नजीराबाद, गुनगा एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उद्भूत धारा 138 निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 7. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
37.	श्रीमती विभा आर्या प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैरसिया	आरक्षी केन्द्र 1. ईटखेडी, तहसील बैरसिया	1. समस्त आपराधिक प्रकरण/ परिवाद पत्र। 2. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के खात्मा प्रकरण 3. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के निम्नलिखित अधिनियम एवं श्रम विभाग से संबंधित आपराधिक प्रकरण : 1. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 2. म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 3. म.प्र.दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 4. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 5. क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र के भुगतान और


13/2/26

		निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 6. आरक्षी केंद्र बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, एवं ईटखेडी तहसील बैरसिया से उत्पन्न होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 तथा मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
--	--	--

// सामान्य नोट //

- 01.** कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के बावजूद जिला भोपाल के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी थाना या वृत्त का कोई भी प्रकरण सुनवाई हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। कार्यविभाजन पत्रक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त (विशेष/अर्जेंट प्रकृति की परिस्थितियों को छोड़कर) किसी भी मामले में कार्यविभाजन की व्यवस्था से परे संज्ञान की अधिकारिता नहीं होगी। कार्यविभाजन में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। कोई ऐसा मामला जिसकी क्षेत्राधिकारिता के संबंध में कार्यविभाजन में उल्लेख नहीं हो पाया है, वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके लिखित निर्देश पर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकेगा।
- 02.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
- 03.** समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय के प्रकरणों की अवशेष समस्त कार्यवाही, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।
- 04.** समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का

13/11/20

निष्पादन व रिक्त न्यायालय के प्रकरणों की अवशेष समस्त कार्यवाही, भोपाल जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

05. इसके अतिरिक्त **परिवाद पत्र** से उद्भूत दांडिक मामलों से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अपील न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

06. उक्त कंडिका क्र.-03, 04 व 05 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, आदेश एवं निर्णय का निष्पादन तथा रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

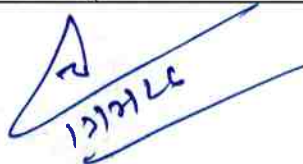
07. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्रों के मामलों से संबंधित रिक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देश, निर्णय/आदेश का निष्पादन तथा अन्य समस्त कार्यवाही निम्नानुसार न्यायालयों द्वारा संपादित की जायेगी :-

क्र.	आरक्षी केंद्र	न्यायिक अधिकारीगण का नाम
1	टी.टी. नगर, एवं एम.पी. नगर	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया
2	हबीबगंज, रातीबड़ एवं यातायात	श्रीमती डिम्पल कश्यप
3	बैरागढ़, एस.टी.एफ. एवं आबकारी	सुश्री हेमलता अहिरवार

08. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले **आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर, एम.पी. नगर, हबीबगंज, यातायात, आबकारी, रातीबड़, बैरागढ़** से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण की समस्त कार्यवाही **श्री जयदीप मौर्य**, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल द्वारा संपादित की जायेगी।

09. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत **आपराधिक परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.स./173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन** निम्नानुसार न्यायालयों में प्रस्तुत किये जावेंगे और वे विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे :-

क्र.	आरक्षी केंद्र	न्यायिक अधिकारीगण का नाम
1	टी.टी. नगर	श्री आशीष मिश्रा



2	रातीबड़	श्री राहुल सिंह यादव
3	एम.पी. नगर	श्री कृष्णकांत बागरे
4	हबीबगंज	श्री शरद जायसवाल
5	बैरागढ़	श्री कपिल बौरासी

10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल, ए.सी.जे.एम. श्री प्रियंक दुबे, श्री विजय कुमार पाठक, श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भारत सिंह रघुवंशी न्या.मजि.प्र.श्रेणी भोपाल के न्यायालय में लगने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2) के तहत कार्यवाही निम्नानुसार न्यायालयों द्वारा संपादित की जायेगी :-

क्र.	आरक्षी केंद्र	न्यायिक अधिकारीगण का नाम
1	कमलानगर	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया
2	बैरागढ़	श्रीमती डिम्पल कश्यप
3	गांधीनगर	सुश्री हेमलता अहिरवार
4	अरेरा हिल्स	श्री जयदीप मौर्य
5	हबीबगंज	श्री राहुल कुमार नामदेव
6	रातीबड़	श्रीमती तनुश्री शिवहरे
7	निशातपुरा	सुश्री रानू रिछारिया
8	पिपलानी	श्री कपिल बौरासी
9	मिसरोद	श्री कृष्णकांत बागरे
10	अवधपुरी	श्री आशीष मिश्रा
11	शाहपुरा	श्री राहुल सिंह यादव
12	एम.पी. नगर	श्रीमती पलक राय
13	हनुमानगंज	श्री शरद जायसवाल
14	कोहेफिजा	श्रीमती गुंजन शर्मा
15	कोलार रोड एवं कजलीखेड़ा	श्रीमती शीला मैना यादव
16	गोविंदपुरा	श्रीमती मेधा अग्रवाल
17	चूनाभट्टी एवं टी.टी. नगर	श्रीमती शालू सिसोही चौकसे

13/11/26

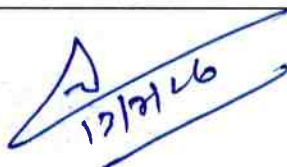
उक्त के अतिरिक्त आरक्षी केंद्र— एस.टी.एफ, काइम ब्रांच, डी.आर.आई., एन.सी.बी. या जो उपरोक्त सूची में नहीं हो, से उद्भूत धारा 52ए एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही निम्नानुसार न्यायालयों द्वारा मासिक रूप से संपन्न की जावेगी:—

क.	न्यायिक अधिकारीगण का नाम	माह
1	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया	जुलाई 2026
2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	अगस्त 2026
3	सुश्री हेमलता अहिरवार	सितम्बर 2026
4	श्री जयदीप मौर्य	अक्टूबर 2026
5	श्री राहुल कुमार नामदेव	नवम्बर 2026
6	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	दिसम्बर 2026
7	सुश्री रानू रिछारिया	जनवरी 2027
8	श्री कपिल बौरासी	फरवरी 2027
9	श्री कृष्णकांत बागरे	मार्च 2027
10	श्री आशीष मिश्रा	अप्रैल 2027
11	श्री राहुल सिंह यादव	मई 2027
12	श्रीमती पलक राय	जून 2027

उक्त के अतिरिक्त अन्य आरक्षी केंद्रों से संबंधित **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52क की उपधारा (2)** के तहत कार्यवाही इस कार्यविभाजन पत्रक में आबंटित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकार वाले **मजिस्ट्रेट** द्वारा संपादित की जाएगी। उक्त अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारणवश अवकाश पर रहने की दशा में प्रभार **अनुसूची क.-1** के अनुसार रहेगा।

11. उक्त कंडिका 03 लगायत 10 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों से संबंधित अन्य कोई कार्यवाही (जो कंडिका 03 लगायत 10 के अंतर्गत न आती हो) निम्नानुसार न्यायाधीशगण संपादित करेंगे :-

क.	न्यायिक अधिकारीगण का नाम	माह
1	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया	जुलाई 2026



2	श्रीमती डिम्पल कश्यप	अगस्त 2026
3	सुश्री हेमलता अहिरवार	सितम्बर 2026
4	श्री जयदीप मौर्य	अक्टूबर 2026
5	श्री राहुल कुमार नामदेव	नवम्बर 2026
6	सुश्री तनुश्री शिवहरे	दिसम्बर 2026
7	सुश्री रानू रिछारिया	जनवरी 2027
8	श्री कपिल बौरासी	फरवरी 2027
9	श्री कृष्णकांत बागरे	मार्च 2027
10	श्री आशीष मिश्रा	अप्रैल 2027
11	श्री राहुल सिंह यादव	मई 2027
12	श्रीमती पलक राय	जून 2027

उक्त अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारणवश अवकाश पर रहने की दशा में प्रभार **अनुसूची क.-1** के अनुसार रहेगा।

12. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहें तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेंगे।

13. न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भोपाल की पूर्व अनुमति के उपरान्त ही लगा सकेंगे, जिसकी पूर्व सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को भी दी जावेगी।

14. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने वाले मामले/प्रकरण अनुसूची कं 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होंगे और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेंगे। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानांतरण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक अनुसूची कं 01 में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानांतरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले उक्त मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेंगे और विधि अनुसार कार्यवाही करेंगे।



15. कार्यविभाजन पत्रक में यदि **भोपाल** थाना क्षेत्र तथा तहसील **बैरसिया** थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के समस्त आपराधिक कार्य व संबंधित सभी आवश्यक कार्य क्रमशः **सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल**, एनआईएक्ट संबंधी प्रकरण **श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल**, एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी प्रकरण **श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल**, तथा **श्रीमती निकिता पवार, न्या. मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया** जिला भोपाल द्वारा किये जावेंगे।

16. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम प्रभारी, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी तथा किन्हीं कारणवश किसी **आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो जिला भोपाल में जिला भोपाल में उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित) सुश्री डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल** द्वारा एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) **श्री कपिल बौरासी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल** द्वारा लिया जाएगा। तहसील बैरसिया में उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन **सुश्री रंजना डोडवे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी तह बैरसिया भोपाल** द्वारा लिया जाएगा।

17. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन क्रं बी/806/111 6-5/14, जबलपुर, दिनांक 25.02.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भोपाल का ज्ञापन क्रं 801/सां0ले0/2015, भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2015 के परिपालन में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक 2015 संशोधन क्रं 05 आदेश दिनांक 26.02.15 द्वारा **सुश्री शोमना भलावे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी भोपाल**; थाना एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार क्रं 01 से 15 तक एवं **श्री शरद जायसवाल, जेएमएफसी भोपाल**, थाना एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची अनुसार क्रं 16 से 29 तक के अपराध क्रमांक में **धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना. सु.सं.** के तहत कथन अभिलिखित करेंगे।

18. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने की दशा में तथा केन्द्रीय कारागार भोपाल में निरुद्ध ऐसे बंदी जो कि भोपाल जिले से बाहर के थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है तथा जो भोपाल जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है, की मृत्यु होने पर **धारा 176 दं.प्र. सं./196 भा.ना.सु.सं.** की न्यायिक जांच, निम्नांकित न्यायिक दंडाधिकारीगण क्रमानुसार संपादित करेंगे:-

क्र.	न्यायाधीशगण के नाम	क्र.	न्यायाधीशगण के नाम
1	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे	14	सुश्री कल्पना कोतवाल
2	श्रीमती मेघा अग्रवाल	15	श्रीमती गजल पाहवा सिंह

13/7/16

3	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	16	श्री आशीष मिश्रा
4	कु. लक्ष्मी वास्कले	17	श्री कृष्णकांत बागरे
5	सुश्री शोभना भलावे	18	श्रीमती अंजली सिंह
6	श्रीमती शीला मैना यादव	19	श्री कपिल बौरासी
7	श्रीमती गुंजन शर्मा	20	सुश्री रानू रिछारिया
8	श्रीमती अनुदिता गुप्ता	21	सुश्री तनुश्री शिवहरे
9	श्री शरद जायसवाल	22	श्री राहुल कुमार नामदेव
10	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल	23	श्री जयदीप मौर्य
11	श्रीमती पलक राय	24	सुश्री हेमलता अहिरवार
12	श्री राहुल सिंह यादव	25	श्रीमती डिम्पल कश्यप
13	श्रीमती गुंजन जलज जोशी	26	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया

उक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्रम में फेर बदल किया जा सकेगा। न्यायिक जांच हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक अवकाशों में बिना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं रहेंगे, परन्तु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात् प्रभार **अनुसूची क्रमांक 1** के अनुसार रहेगा।

19. धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार, भोपाल से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण उपरोक्त क्रमानुसार विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। **इसके अतिरिक्त मृत बंदियों की मृत्यु की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक जांच हेतु पृथक से आदेश प्रसारित किया जा सकेगा।**

20. रिमांड ड्यूटी, धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. कथन, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की **धारा 52क की उपधारा (2)** के तहत कार्यवाही एवं **धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं.** के तहत कार्यवाही हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारणवश अवकाश पर रहने की दशा में प्रभार **अनुसूची क.-1** के अनुसार रहेगा।

21. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में

13/11/26

सम्मिलित नहीं माने जावेंगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय भोपाल के समक्ष ही पेश किए जावेंगे।

22. श्री अर्जित दुबे न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल आरक्षी केंद्र—नजीराबाद, सुश्री रंजना डोडवे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केंद्र ईटखेड़ी तहसील बैरसिया, सुश्री निकिता पवार, न्या. मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केंद्र गुनगा, श्रीमती विभा आर्या, न्या.मजि.प्र. श्रेणी बैरसिया जिला भोपाल, आरक्षी केंद्र बैरसिया के धारा 176 दं.प्र.सं./196 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

23. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।

13/11/26
अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोपाल, म.प्र.

/// अनुसूची कं-1 ///

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में या न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की दशा में अनुसूची क. -1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।

2. यदि अनुसूची क. 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगे। अत्यावश्यक मामलों में ऐसे समस्त मामले शामिल हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1.	अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल	श्री प्रियंक दुबे, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल	श्री विजय कुमार पाठक न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
2.	श्री प्रियंक दुबे, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल	श्री विजय कुमार पाठक न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी

13/11/26

[illegible]

13/2/26

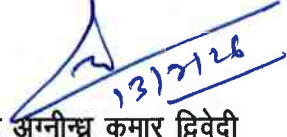
					श्रेणी
28.	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु. लक्ष्मी वास्करे न्या.मजि.प्र. श्रेणी
29.	सुश्री अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष न्यायालय)					
30.	सुश्री शोभना भलावे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
31.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री शोभना भलावे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
32.	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री शोभना भलावे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी
(बैरसिया तहसील न्यायालय)					
33.	श्री अर्जित दुबे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रंजना डोडवे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री निकिता पवार न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती विभा आर्या न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री जयदीप मोर्य न्या.मजि.प्र. श्रेणी
34.	सुश्री रंजना डोडवे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री निकिता पवार न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती विभा आर्या न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री अर्जित दुबे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.मजि.प्र. श्रेणी
35.	सुश्री निकिता पवार न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती विभा आर्या न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री अर्जित दुबे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रंजना डोडवे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
36.	श्रीमती विभा आर्या न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्री अर्जित दुबे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रंजना डोडवे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री निकिता पवार न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रानू रिछारिया न्या.मजि.प्र. श्रेणी
(किशोर न्याय बोर्ड)					
37.	सुश्री श्रुति जैन प्रधान न्यायाधीश, किशोर बोर्ड, भोपाल	-----	-----	-----	-----

नोट:- 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्हीं कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

13/11/26

2. जिला न्यायालय भोपाल पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके पूर्व प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।

3. यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 भोपाल म.प्र.

// अनुसूची क.- 2 //

धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

(1) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित **धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं.** के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटगण को आरक्षी केंद्र का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 निशातपुरा 2 टीलाजमालपुरा, 3. जी.आर.पी.
2.	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. श्यामला हिल्स, 2. स्टेशन बजरिया
3.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. खजूरी सड़क 2. एम.पी. नगर
4.	कु. लक्ष्मी वास्करले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. गोविंदपुरा 2. बागसेवनिया
5.	सुश्री शोभना भलावे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 ईंटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव <u>डुस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विसनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया</u> , 2 एस. टी.एफ./ए.टी.एस. (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार)
6.	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 हनुमानगंज, 2 पिपलानी 3 मिसरोद


 13/2/16

7.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. कोलार रोड 2. कजलीखेड़ा, 3 आर.पी.एफ.
8.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 छोला मंदिर 2 सी.आई.डी. 3. तलैया
9.	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. कटारा हिल्स 2. अजाक
10.	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. सूखीसेवनिया 2. गांधीनगर
11.	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. मंगलवारा 2 परवलिया सड़क
12.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 अशोका गार्डन, 2 काइम ब्रांच
13.	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 कमला नगर 2 रातीबड़, 3 साइबर काइम्स
14.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. कोतवाली 2. जहांगीराबाद, 3. टी.टी. नगर
15.	सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. अरेरा हिल्स, 2 शाहपुरा 3. कोहेफिजा
16.	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 महिला थाना, 2. चूनाभट्टी, 3. हबीबगंज
17.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. सीबीआई 2. ऐशबाग, 3. बैरागढ़
18.	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. एस.टी.एफ. एवं ए.टी.एस. 2 गौतम नगर 3 अयोध्या नगर
19.	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 अवधपुरी 2. बिलखिरिया 3. शाहजहांनाबाद

नोट:- 1. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन हेतु अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उनके अवकाश पर रहने या न्यायालय रिक्त रहने की दशा में निम्नांकित सूची अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 164 द.प्र.स. के कथन अंकित करेंगे।

2. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले अधिकृत मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

3. उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त यदि अनुसूची क.-2 में उल्लेखित निम्नांकित सूची अनुसार संबंधित न्यायालय के चारों प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने, स्थानांतरण होने या न्यायालय रिक्त रहने की दशा में इस कार्यविभाजन के **अनुसूची क.-1** अनुसार संबंधित न्यायालय के अधिकृत प्रभारी अधिकारियों में से मुख्यालय पर उपस्थित अधिकृत प्रभारी महिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कथन लेखबद्ध करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।



4. उपरोक्तानुसार क.-1 से 3 तक की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अन्यथा दशा में धारा 164 दं. प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगी।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
1.	श्रीमती शालू सिरौही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु. लक्ष्मी वास्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री शोभना भलावे न्या.मजि.प्र. श्रेणी
2.	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु. लक्ष्मी वास्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री शोभना भलावे न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी
3.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु. लक्ष्मी वास्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री शोभना भलावे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
4.	कु. लक्ष्मी वास्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री शोभना भलावे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
5.	सुश्री शोभना भलावे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
6.	श्रीमती शीला मैना यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
7.	श्रीमती गुंजन शर्मा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
8.	श्रीमती अनुदिता गुप्ता, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
9.	श्रीमती आरती आदित्य बांदिल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी

13/11/26

10.	श्रीमती पलक राय, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या. मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी
11.	श्रीमती गुंजन जलज जोशी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि. प्र. श्रेणी	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि. प्र. श्रेणी
12.	सुश्री कल्पना कोतवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
13.	श्रीमती गजल पाहवा सिंह, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि. प्र. श्रेणी
14.	श्रीमती अंजली सिंह न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि. प्र. श्रेणी	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
15.	सुश्री रानू रिछारिया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
16.	श्रीमती तनुश्री शिवहरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि. प्र. श्रेणी	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी
17.	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी
18.	श्रीमती डिम्पल कश्यप, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि. प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या. मजि.प्र. श्रेणी
19.	सुश्री आकांक्षा कुमार उचाड़िया, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती मेघा अग्रवाल न्या.मजि.प्र. श्रेणी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	कु. लक्ष्मी वास्कले, न्या.मजि.प्र. श्रेणी

(2) इसके अतिरिक्त धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

13/7/26

कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री विजय कुमार पाठक, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 ईओडब्ल्यू 2. कोहेफिजा. 3. जहांगीराबाद, 4. हनुमानगंज, 5 परवलिया सड़क 6 ऐशबाग
2	श्री शरद जायसवाल, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 अवधपुरी 2 चूनाभट्टी 3 बैरागढ 4. ए.टी.एस./एस.टी.एफ. (आदेश दिनांक 26.02.15 के अनुसार) 5. शाहजहानाबाद 6 गांधीनगर
3	श्री राहुल सिंह यादव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. पिपलानी, 2 जी.आर.पी. 3. मिसरोद 4 महिला थाना 5 काइम ब्रांच 6 आर.पी.एफ 7. एस.टी.एफ. एवं ए.टी.एस.,
4	श्री आशीष मिश्रा, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 कोतवाली 2 हबीबगंज 3 कोलार रोड 4. कजलीखेड़ा 5. सी. आई.डी. 6 ईटखेडी के भोपाल जिले में लगने वाले गांव इस्लामनगर, कल्याणपुरा पठार, परेवाखेडा, विचंसोरियासनखेडी, चांदपुर, डोबरा, लांबाखेडा, खेजडादेव, गुराडिया 7. एन.डी.पी.एस., 8. एन.आई.ए. (राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी)
5	श्री कृष्णकांत बागरे, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 बिलखिरिया 2 गोविंदपुरा, 3 निशातपुरा 4 मंगलवारा 5 एम.पी. नगर 6 स्टेशन बजरिया
6	श्री कपिल बौरासी, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 शाहपुरा 2 सूखीसेवनिया 3 टी.टी. नगर, 4. कटारा हिल्स 5 रातीबड़ 6 श्यामला हिल्स
7	श्री राहुल कुमार नामदेव न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1 टीलाजमालपुरा, 2 बागसेवनिया 3 छोला मंदिर 4 अशोकागार्डन 5. सीबीआई 6 अयोध्या नगर
8	श्री जयदीप मौर्य न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. तलैया 2. साइबर काइम्स, 3 खजूरी सडक 4. कमलानगर, 5 अरेरा हिल्स 6 अजाक 7. गौतम नगर

धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. कथन हेतु अधिकृत उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के किसी कारणवश अवकाश पर रहने या न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार **अनुसूची क.-1** के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे ।

(3) तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल में **धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं.** के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

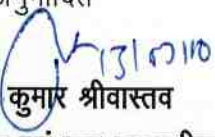
तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल में **धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं.** के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-



कं.	मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	सुश्री निकिता पवार, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. बैरसिया 2. ईटखेड़ी बैरसिया तहसील
2	श्रीमती विभा आर्या, न्या.मजि.प्र. श्रेणी	1. गुनगा, 2. नजीराबाद

धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.ना.सु.सं. कथन हेतु अधिकृत उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार **अनुसूची क.-1** के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे ।


अनीन्द्र कुमार द्विवेदी
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 भोपाल, (म0प्र0)

अनुमोदित

मनोज कुमार श्रीवास्तव
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 भोपाल, (म0प्र0)

